महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh. NAAC "A++" Acredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./2025/ 136 दिनांक : 09.05.2025

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,
राफिया कालेज ऑफ एजुकेशन,
सहसवान, बदायूँ

विषय : संस्था को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता की अनुमति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश संख्या सम्ब.-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों तथा अस्थाई महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2025 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में **संस्था राफिया कालेज ऑफ एजुकेशन, सहसवान, बदायूँ** को स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत **शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एड. (02 यूनिट/100 सीट) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता की** अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सत्र **2025-26 से** प्रदान की जाती है। कमियॉ/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1. महाविद्यालय द्वारा उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30.04.2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते पूर्ण कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छुपाया गया हो जिससे कि माहवद्यिालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।
6. संस्था में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैव का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
7. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26.02.2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्परोधी होना चाहिये।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति।
2. वित्त अधिकारी, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. परीक्षा नियंत्रक, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाईट/प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र।

कुलसचिव